<u>इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ।</u>

दिनांक 08.05.2023

<u>नीलामी सूचना</u>

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय, गोमती नगर, लखनऊ में स्थित मुख्य भवन के बेसमेन्ट में पिलर संख्या 220 एवं 248 के मध्य स्थित घिरे हुए स्थल में एकत्रित अनुपयोगी/निष्प्रयोज्य पेपर (सभी प्रकार के गत्ते, दफ्ती एवं उनसे बने डिब्बों सहित) तथा विनिष्ट की जाने वाली निर्णीत पत्रावलियों की नीलामी हेतु इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

नीलामी की प्रक्रिया **दिनांक 30.05.2023 (मंगलवार) को पूर्वाह्न 11:00 बजे** इलाहाबाद उच्च न्यायालय, गोमती नगर, लखनऊ 'एम' ब्लाक परिसर में आयोजित की जायेगी। नीलामी से सम्बन्धित नियम व शर्तें आवेदन पत्र के साथ संलग्न है।

आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र को जमा करने की तिथि और समय।	10.05.2023 से 27.05.2023 तक किसी भी कार्य दिवस में दोपहर 2:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक।
आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं जमा करने का स्थान।	इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ के 'पास सेक्शन' (गेट न0. 6 के पास) में निर्धारित काउन्टर पर।
आवेदन पत्र का मूल्य।	रूपये 100/– नकद।

नीलामी के नियमों एवं शर्तों के साथ आवेदन पत्र इलाहाबाद उच्च न्यायालय की वेबसाइट **www.allahabadhighcourt.in** से भी डाउनलोड किये जा सकते है, किन्तु उस स्थिति में, आवेदकों को डाउनलोड किये गये आवेदन पत्र के साथ <u>'सीनियर रजिस्ट्रार, हाईकोर्ट, लखनऊ बेन्च, लखनऊ'</u> के पक्ष में रूपये 100.00 का डिमाण्ड ड्राफ्ट (आवेदन पत्र शुल्क) संलग्न करना अनिवार्य होगा।

वरिष्ठ निबन्धक, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ को यह अधिकार होगा कि वह नीलामी की तिथि को परिवर्तित कर दें एवं किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार कर दें।

Sd/-
वरिष्ठ निबन्धक
इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ।

High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow

Dated : 08 / 05 / 2023

Auction Notice

Be it known to all that applications are invited from the willing persons for the auction of waste/weeded papers (including all types of cardboard, cartons and boxes made therefrom) and destructed decided files, piled up in the surrounded area located between Pillar Nos. 220 and 248 in the basement of main building of the High Court of Judicature at Allahabad, Gomti Nagar, Lucknow.

Auction proceedings will be held on 30.05.2023 (Tuesday) at 11:00 a.m. in the 'M' Block of High Court of Judicature at Allahabad, Gomti Nagar, Lucknow. The terms & conditions for the said Auction are attached with the Application Form.

Date & Time of Receiving and submission of duly filled-in Application Form	10.05.2023 to 27.05.2023 on any working day from 02:00 p.m. to 04:00 p.m.
Place to Receive and submit the Application Form	Prescribed counter situated in Pass Section (Near Gate No. 6) of High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow.
Application Fee	Rs.100/- (Cash)

The application form along-with the terms & conditions of the Auction may be downloaded from the official website of High Court of Judicature at Allahabad i.e. **"www.allahabadhighcourt.in"**, but in that case, the applicant is compulsorily required to submit a demand draft of **Rs.100.00 (Application Form Fee)** in favour of **"Senior Registrar, High Court, Lucknow Bench, Lucknow"** at the time of submission of the Application form.

The Senior Registrar, High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow will have the right to change the date of Auction and decline any bid without assigning any reason.

Sd/-
Senior Registrar
High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow

आवेदनकर्ता
का स्वप्रमाणित
फोटोग्राफ

आवेदन–पत्र

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, गोमती नगर, लखनऊ में स्थित मुख्य भवन के बेसमेन्ट में पिलर संख्या 220 एवं 248 के मध्य स्थित घिरे हुए स्थल में एकत्रित अनुपयोगी/निष्प्रयोज्य पेपर (सभी प्रकार के गत्ते, दफ्ती एवं उनसे बने डिब्बों सहित) तथा विनिष्ट की जाने वाली निर्णीत पत्रावलियों की नीलामी में प्रतिभाग करने हेतु।

1. आवेदनकर्ता का नाम : ____________________

2. पिता/पति का नाम : ____________________

3. लिंग : ____________________

4. जन्मतिथि : ____________________

5. (क) वर्तमान पता : ____________________

   (ख) स्थायी पता : ____________________

6. (क) मोबाइल नम्बर : ____________________

   (ख) आधार नम्बर : ____________________

7. राष्ट्रीयता : ____________________

8. यदि आवेदन पत्र वेबसाइट से डाउन लोड किया गया है तो :

   डिमाण्ड ड्राफ्ट जारी करने वाले बैंक का नाम ____________________

   डिमाण्ड ड्राफ्ट की रकम ____________________

   डिमाण्ड ड्राफ्ट की संख्या ____________________

   डिमाण्ड ड्राफ्ट की तिथि ____________________

मैने नीलामी के सभी नियमों एवं शर्तों को पढ़ एवं समझ लिया है तथा नीलामी के सभी नियम एवं शर्तें मुझे मंजूर हैं।

दिनांक :

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर

संलग्नक :

नोट : (1) नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस की एक छायाप्रति संलग्न करनी होगी।

(2) आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 27/05/2023 तक है।

<u>इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ</u>

<u>नीलामी सूचना</u>

विषय	:	इलाहाबाद उच्च न्यायालय, गोमती नगर, लखनऊ में स्थित मुख्य भवन के बेसमेन्ट में पिलर संख्या 220 एवं 248 के मध्य स्थित घिरे हुए स्थल में एकत्रित अनुपयोगी/निष्प्रयोज्य पेपर (सभी प्रकार के गत्ते, दफ्ती एवं उनसे बने डिब्बों सहित) तथा विनिष्ट की जाने वाली निर्णीत पत्रावलियों की नीलामी।
नीलामी की तिथि	:	30.05.2023 (मंगलवार), समय : पूर्वाह्न 11:00 बजे।
स्थान	:	'एम' ब्लाक, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, गोमती नगर, लखनऊ।

<u>नीलामी की शर्ते</u>

1. इलाहाबाद उच्च न्यायालय, गोमती नगर, लखनऊ में स्थित मुख्य भवन के बेसमेन्ट में पिलर संख्या 220 एवं 248 के मध्य स्थित घिरे हुए स्थल में एकत्रित अनुपयोगी/निष्प्रयोज्य पेपर (सभी प्रकार के गत्ते, दफ्ती एवं उनसे बने डिब्बों सहित) तथा विनिष्ट की जाने वाली निर्णीत पत्रावलियों को नीलाम किया जाना है।

2. बोली बोलने वाले व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने हेतु **अग्रिम राशि रू0 10,000.00 (रूपये दस हजार मात्र)** नकद जमा करना होगा, जो नीलामी समाप्त होने के पश्चात, नीलामी में असफल व्यक्ति को नियमानुसार वापिस कर दी जायेगी तथा नीलामी में सफल व्यक्ति के मामले में अग्रिम राशि उसके द्वारा सिक्युरिटी डिपाजिट के रूप में जमा की जाने वाली राशि में समायोजित कर ली जायेगी।

3. इलाहाबाद उच्च न्यायालय, गोमती नगर, लखनऊ में स्थित मुख्य भवन के बेसमेन्ट में पिलर संख्या 220 एवं 248 के मध्य स्थित घिरे हुए स्थल में एकत्रित अनुपयोगी/निष्प्रयोज्य पेपर (सभी प्रकार के गत्ते, दफ्ती एवं उनसे बने डिब्बों सहित) तथा विनिष्ट की जाने वाली निर्णीत पत्रावलियों की बोली हेतु **न्यूनतम निर्धारित मूल्य रू0 2700.00 (रूपये दो हजार सात सौ मात्र) प्रति कुंतल** हैं।

4. जिस बोलीदाता की अन्तिम बोली स्वीकार की जायेगी, उसे **सिक्युरिटी डिपॉजिट** के रूप में **रूपये 50,000.00 (रूपये पचास हजार मात्र)** (अग्रिम जमा धनराशि सम्मिलित करते हुये) बोली की तिथि के 3 दिन के अन्दर जमा करना होगा। यह सिक्युरिटी डिपाजिट की धनराशि इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ के पास काम पूरा होने तक जमा रहेगी तथा इस सिक्युरिटी डिपाजिट की धनराशि की वापिसी के सम्बन्ध में निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ द्वारा समस्त कार्य पूरा होने के उपरान्त ही लिया जायेगा।

5. यदि अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा उपरोक्त सिक्युरिटी डिपाजिट की धनराशि 3 दिन के अन्दर जमा नही की जाती है, तो बोली स्वतः निरस्त समझी जायेगी व जमा की गयी अग्रिम धनराशि जब्त कर ली जायेगी। इस स्थिति में नीलामी कमेटी को यह अधिकार होगा कि वह अधिकतम बोली से दूसरे नम्बर की बोली लगाने वाले व्यक्ति को सम्बन्धित

कार्य करने के लिये आमंत्रित कर लें तथा इस प्रकार आमंत्रित किये जाने वाले व्यक्ति द्वारा अपनी बोली के अनुसार उपरोक्त शर्तों का पालन किया जायेगा।

6. नीलामी में सफल व्यक्ति, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, गोमती नगर, लखनऊ में स्थित मुख्य भवन के बेसमेन्ट में पिलर संख्या 220 एवं 248 के मध्य स्थित घिरे हुए स्थल में एकत्रित अनुपयोगी/निष्प्रयोज्य पेपर (सभी प्रकार के गत्ते, दफ्ती एवं उनसे बने डिब्बों सहित) तथा विनिष्ट की जाने वाली निर्णीत पत्रावलियों को पहले स्वयं के व्यय पर स्वचालित पेपर कटिंग मशीन द्वारा काटेगा तथा उक्त कटे हुए कागज को इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ परिसर से बाहर ले जाने की स्वयं व्यवस्था करेगा।

7. उपर्युक्त कागज को काटने के लिये इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ परिसर के अन्दर स्वचालित पेपर कटिंग मशीन की व्यवस्था बोली में सफल व्यक्ति द्वारा स्वयं की जायेगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ परिसर से उपर्युक्त कागज को बाहर ले जाने का कार्य कोर्ट ऑफीसर (नजारत) की देख–रेख में किया जायेगा।

8. इस प्रकार कटे हुए अनुपयोगी/निष्प्रयोज्य पेपर (सभी प्रकार के गत्ते, दफ्ती एवं उनसे बने डिब्बों सहित) तथा विनिष्ट की जाने वाली निर्णीत पत्रावलियों की तौल नजारत अनुभाग द्वारा चिन्हित धर्मकांटे पर नजारत अनुभाग द्वारा नामित कर्मचारी की उपस्थिति में निम्नलिखित प्रकार से किया जाएगा :–

   (क) प्रत्येक उठान के समय सर्वप्रथम खाली वाहन को धर्मकांटे पर तौला जायेगा।
   (ख) उसके उपरान्त काटे गये कागज से भरे हुए वाहन का वजन धर्मकांटे पर किया जाएगा।
   (ग) तदुपरान्त वास्तविक वजन के सापेक्ष क्रय मूल्य का भुगतान (बोली में निर्धारित मूल्य के अनुरूप) सफल बोलीदाता द्वारा कैश अनुभाग में करने के उपरान्त ही वह उक्त भरा हुआ वाहन धर्मकांटे से ले जाने का हकदार होगा।

9. नीलामी में सफल बोलीदाता के ठेका/कार्य की अवधि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अनुमोदन पत्र की तिथि से एक वर्ष तक की होगी। चूंकि यह कार्य एक सतत प्रक्रिया है अतः सफल बोली दाता का यह दायित्व होगा कि वह निर्धारित स्थल पर रद्दी पेपर का ढेर एकत्रित न होने दें एवं निर्धारित मूल्य जमा करते हुए उसे निश्चित अवधि में न्यायालय परिसर से हटाते रहें। यदि सफल बोलीदाता द्वारा उक्त कार्य में चूक की जाती है तो उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट को जब्त करते हुए उसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।

10. कोई भी अपराधिक इतिहास/अपराधिक प्रवृत्ति रखने वाला व्यक्ति नीलामी में भाग नही ले सकता है।

11. नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आवेदन पत्र के साथ अपने आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस की एक छायाप्रति संलग्न करनी होगी।

12. नीलाम होने वाली अनुपयोगी/निष्प्रयोज्य पेपर (सभी प्रकार के गत्ते, दफ्ती एवं उनसे बने डिब्बों सहित) तथा विनिष्ट की जाने वाली निर्णीत पत्रावलियों को **दिनांक 29.05.2023** (मात्र 01 दिन) को गेट नम्बर 6 से नियमानुसार पास बनवाकर कोर्ट आफिसर (श्री विनय सिंह, मोबाइल नम्बर 8004996737/9807540048) की अनुमति प्राप्त कर, उनके अथवा नजारत के किसी कर्मचारी के साथ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ में अपराह्न 02.00

बजे से 04.00 तक देखा जा सकता है तथा बोली बोलने वाले व्यक्ति का यह स्वयं उत्तरदायित्व होगा कि वह बोली लगाने से पूर्व उपर्युक्त का पूर्ण निरीक्षण कर ले।

13. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति आपस में बोली के सम्बन्ध में किसी प्रकार की साठगांठ नही करेंगे। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा बोली के सम्बन्ध में आपस में किसी प्रकार की साठगांठ की गयी है तो नीलामी कमेटी को अधिकार होगा कि वह नीलीमी प्रक्रिया को तुरन्त रोक दें।

14. नीलामी में सफल व्यक्ति को कार्य करने की अनुमति तभी दी जायेगी जबकि उसने सिक्युरिटी डिपाजिट की धनराशि **रू0 50,000.00 (रूपये पचास हजार मात्र)** इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ में नियत समय पर जमा कर दिया हो।

15. बोली में भाग लेने से पूर्व बोली में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति को यह लिखित में देना होगा कि बोली के सभी नियम व शर्ते उसे स्वीकार है।

16. बोली में भाग लेने वाले व्यक्ति को बोली वाले दिन पूर्वाह्न 10:30 बजे तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ के गेट नम्बर–6 पर तैनात सुरक्षा कर्मी को अपना पहचान पत्र दिखाकर पूर्वाह्न 11:00 बजे तक नीलामी कक्ष में प्रवेश करना होगा। पूर्वाह्न 11:00 बजे के उपरान्त नीलामी कक्ष में प्रवेश की अनुमति नही दी जायेगी।

17. अनुपयोगी/निष्प्रयोज्य पेपर (सभी प्रकार के गत्ते, दफ्ती एवं उनसे बने डिब्बों सहित) तथा विनिष्ट की जाने वाली निर्णीत पत्रावलियों को काटने व निस्तारित करने के लिये नियुक्त व्यक्तियों को निर्धारित गेट पास बनवाने के पश्चात ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ परिसर में आने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

18. नीलामी कमेटी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार कर दे, अन्तिम बोली की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी के स्वीकृति के अधीन होगी।

19. बोली में भाग लेने वाले समस्त इच्छुक व्यक्तियों को कोविड–19 महामारी के सन्दर्भ में सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

20. सफल बोलीदाता का यह दायित्व होगा कि वह सम्पूर्ण कार्य अवधि के दौरान कोविड–19 प्रोटोकॉल तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ द्वारा समय–समय पर निर्गत आवागमन के सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देशों का सदैव पालन करेगा।

Sd/-
वरिष्ठ निबन्धक
इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ।